

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नौएडा) गाजियाबाद  
(मानचित्र-स्वीकृति पत्र)

पत्र सं० नौएडा/भवन/वी०पी०

सेवा में,

श्रीमती/श्री/मे०

दिनांक

12/4/99

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 27/1/99 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित भवन/मार्ग की प्लॉट सं० R-12 सेक्टर 4 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से 30/06/99 तक वैध है।

मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से संबंधित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिका, नौएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टैड) नहीं माना जायेगा।

3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत करवाया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।

4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जावेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।

5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टैड) न हो।

6. विजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।

7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।

8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नौएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही करवाया जाएगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नौएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करवायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

10. सड़क पर अथवा वैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।

नौएडा की व्यवस्था का निरीक्षण नौएडा (भवन प्रकोष्ठ) विभाग